रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062024-254534
CG-DL-E-04062024-254534

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2024/ज्येष्ठ 10, 1946
No. 284] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2024/JYAISHTHA 10, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 मई, 2024

सा.का.नि. 305(अ.).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और महानिदेशालय, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1989 को जहां तक उनका संबंध निदेशक (औद्योगिक स्वस्थवृत), उप-निदेशक (औद्योगिक स्वस्थवृत) और सहायक निदेशक (औद्योगिक स्वस्थवृत) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन महानिदेशालय, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान, मुम्बई में निदेशक (औद्योगिक स्वस्थवृत), उप निदेशक (औद्योगिक स्वस्थवृत) और सहायक निदेशक (औद्योगिक स्वस्थवृत) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम और रोजगार मंत्रालय, महानिदेशालय, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान निदेशक (औद्योगिक स्वस्थवृत), उप निदेशक (औद्योगिक स्वस्थवृत) और सहायक निदेशक (औद्योगिक स्वस्थवृत), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आवेदन-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :—

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निदेशक (औद्योगिक स्वस्थवृत)	3* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह-'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78800 रुपये – 209200 रुपये)	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	प्रोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपये) में ऐसे उप-निदेशक (औद्योगिक स्वस्थवृत) जिन्होंने उसमें पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में दो सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए

	अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारियों में से (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं,— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या औद्योगिक स्वस्थवृत में स्नातकोत्तर डिग्री या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री और (ii) किसी अनुसंधान संस्था में नमूनों के रासायनिक विश्लेषण में औद्योगिक स्वस्थवृत में दस वर्ष का अनुभव। ग) वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपरोक्त आवश्यक अहर्ता के लिए सुसंगत डॉक्टरेट की डिग्री। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष; 2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव या निदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय - सदस्य; 3. महानिदेशक या उप महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान- सदस्य।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत् अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप निदेशक (औद्योगिक स्वस्थवृत)।	5 * (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह, 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (66700-208700 रुपये)।	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)
आयु चालीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	**आवश्यक**: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या औद्योगिक स्वस्थवृत में स्नातकोत्तर या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री। (ii) अनुसंधान संस्थान में नमूनों के रासायनिक विश्लेषण में औद्योगिक स्वस्थवृत में पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपरोक्त उल्लिखित आवश्यक अर्हता के लिए डॉक्टरेट की डिग्री।	आयु: लागू नहीं है। शैक्षिक अर्हता: हां।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) चालीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) साठ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रु.) में ऐसे सहायक निदेशक (औद्योगिक स्वस्थवृत) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में दो सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या वो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो औश्र उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासनों स्वाशासी या कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारियों से; (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय - अध्यक्ष ; 2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव या निदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय - सदस्य ; 3. महानिदेशक या उप महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान - सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पद्धति पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ संख्या (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते है। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय – अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय-सदस्य; 3. महानिदेशक या उप महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान – सदस्य।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक निदेशक (औद्योगिक स्वस्थवृत)।	6* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये)।	चयन।	आयु पैंतीस वर्ष से अधिक न हो। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) आवश्यक अर्हताएं: i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या औद्योगिक स्वस्थवृत में स्नातकोत्तर डिग्री; या ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री। (ख) आवश्यक अनुभव: किसी अनुसंधान संस्थान में नमूनों के रासायनिक विश्लेषण में औद्योगिक स्वस्थवृत के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। (ग) वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपरोक्त उल्लिखित आवश्यक अर्हताओं से सुसंगत	आयु: नहीं। शैक्षिक अर्हता नहीं, किंतु अभ्यर्थी के पास रसायन विज्ञान या जैव रसायन में कम से कम एक डिग्री होनी चाहिए।	सीधी भर्ती और प्रौन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	(i) सीधी भर्ती द्वारा तैंतीस प्रतिशत; और (ii) प्रोन्नति द्वारा जिसमें जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा 67 प्रतिशत।

डॉक्टरेट की डिग्री। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुआर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) में ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में दो सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया हो। टिप्पण 1: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा आठ वर्ष होगी। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी -, (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800 रुपए) या समतुल्य में उस पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो। (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) या समतुल्य में उस पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ में संख्या (7) के अधीन सीधी	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: – (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; (2) अपर सचिव या संयुक्त सचिव या निदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय - सदस्य; (3) महानिदेशक या उप-महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान - सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: – (1) संयुक्त सचिव या निदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय - अध्यक्ष; (2) उप सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय - सदस्य; (3) उप महानिदेशक या निदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान - सदस्य।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों। टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फ.सं. ए-12018/01/2023.आईएसएच.I]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2024

G.S.R 305(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the posts of Director (Industrial Hygiene), Deputy Director (Industrial Hygiene) and Assistant Director (Industrial Hygiene), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director (Industrial Hygiene), Deputy Director (Industrial Hygiene) and Assistant Director (Industrial Hygiene) in the Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes, Mumbai under the Ministry of Labour and Employment, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of labour and Employment, Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes Director (Industrial Hygiene), Deputy Director (Industrial Hygiene) and Assistant Director (Industrial Hygiene), Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2024.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age – limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.- No person,-

 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

 (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person form the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age - limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Director (Industrial Hygiene).	3* (2024). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs 78800-209200).	Selection.

Age - limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation including short - term contract	Promotion: Deputy Director (Industrial Hygiene) in level – 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade and having completed two weeks of training in Occupational Safety and Health. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation(including short - term contract) Officers of the Central Government or State Governments or Union Territory Administrative Autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or

	department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience,- i) Master Degree in Chemistry or Biochemistry or Industrial Hygiene or Bachelor Degree in Biochemical Engineering from a recognised University and ii) Ten years experience in Industrial hygiene in chemical analysis of samples in a research institution. c) Desirable: Doctorate degree relevant to essential qualification above from a recognised University. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short - term contract) including the period of deputation (including short – term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : - 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; 2. Additional Secretary or Joint Secretary or Director, Ministry of Labour and Employment – member; 3. Director General or Deputy Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes- member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Deputy Director (Industrial Hygiene).	5* (2024) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial.	Level -11 in the pay matrix (Rs.66700-208700).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding forty years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with the instructions	Essential : (i) Master Degree in Chemistry or Biochemistry or Industrial Hygiene or Bachelor Degree in Biochemical Engineering from a recognised University. (ii) Five years experience in Industrial Hygiene	Age: Not applicable. Education qualification: Yes.	One year for direct recruits. Note: There

or orders issue by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	in chemical analysis of samples in a research institution Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: Doctorate Degree relevant to essential qualifications mentioned above from a recognised University.		shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) forty percent. by direct recruitment; and (ii) sixty percent. by promotion failing which by deputation (including short-term contract).	Promotion: Assistant Director (Industrial Hygiene) in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) with five years regular service in the grade and having completed two weeks of training in Occupational Safety and Health. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract) : Officers of the Central Government, State Governments, a Union territory, Administrations autonomous or statutory organisation, public sector undertakings, recognised University	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Secretary, Ministry of Labour and Employment – Chairman; 2. Additional Secretary or Joint Secretary or Director, Ministry of Labour and Employment – member; 3. Director General or Deputy Director General Factory Advice Service and Labour Institutes – member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment - Chairman	Consultation with Union Public Service commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short-term contract) method.

	or recognised research institutions; (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column number (7). Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Labour and Employment- member; 3. Director General or Deputy Director General, Factory Advice Service and Labour -member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Director (Industrial Hygiene).	6* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).	Selection.	Not exceeding thirty-five years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the UPSC.

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) Essential qualifications: i) Master's Degree in Chemistry or Biochemistry or Industrial Hygiene from a recognised University; or ii) Bachelors Degree in Biochemical Engineering from a recognised University. (b) Essential experience: Two years experience in the field of Industrial Hygiene in Chemical analysis of samples in a research institute. (c) Desirable: Doctorate Degree relevant to essential qualifications mentioned above from a recognised University. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age: No. Educational qualification: No, but the candidate shall possess at least a Degree in Chemistry or Biochemistry.	One year for direct recruits and promotees. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) thirty three percent. by direct recruitment; and (ii) sixty-seven percent. by promotion failing which by deputation (including short-term contract).

(11)	(12)	(13)
Promotion : Senior Scientific Assistant in the level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with ten years regular service in the grade and having	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

completed two weeks of training in Occupational Safety and Health. Note 1: The eligibility service for persons holding the post of Senior Scientific Assistant in level-6 (Rs.35400-112400) on the date of notification of these rules shall be eight years. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or Universities or recognised research institution-, (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800); or (iii) with four years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100); and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including shrot-term contract) including period of	(1). Chairman or Member, Union Public Service Commission – chairman; (2). Additional Secretaryor Joint Secretary or Director, Ministry of Labour and Employment – member; (3). Director General or Deputy Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes – member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1). Joint Secretary or Director, Ministry of Labour and Employment –chairman; (2). Deputy Secretary, Ministry of Labour and Employment– member; (3). Deputy Director General or Director, Factory Advice Service and Labour Institutes – Member.	

deputation (including shrot-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F.No. A-12018/01/2023.ISH.I]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.06.04 20:24:23 +05'30'